प्रारूप–2

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा

पत्रांक/ 2046 /2015–16 दिनांक 31-3-2016

प्रबन्धक,
भागवत प्रसाद मेमोरियल एकेडमी
अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से 8 तक
नगर क्षेत्र, बांदा

विषयः–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 24.8.2015 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र बांदा की स्थलीय सत्यापन/संस्तुति पर मण्डलीय जांच समिति के प्रतिनिर्देश से, मैं भागवत प्रसाद मेमोरियल एकेडिमी नगर क्षेत्र बांदा को तारीख 01.04.2016 से तारीख 31.3.2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/ संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा मे), उस कक्षा में बालकों की संख्या के **25 प्रतिशत** तक आस पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूल के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 2 में निर्दिष्ट बालाको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बाहलक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः
   i. प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।
   ii. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जाएगा।
   iii. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
   iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक, जिके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नही है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेगें।
   vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापो में नियोजित नही करेगें।

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल।
कुल निर्मित क्षेत्र।
कीडा स्थल का क्षेत्रफल।
कक्षाओं की संख्या।
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भाडागार के लिए कक्ष।
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय।
पेयजल सुविधा।
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई।
बधारहित पहुंच।
अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षायें नही चलाई जायेगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा–स्थल काप्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रायोजनों के लिये किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूल हया संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणितकिया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड संख्या **E-1/2016** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के देय अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकर की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।

17. संलग्न उपाबंध 'क' के अनुसार कोई शर्त।

18. सम्बन्धित विद्यालय को इस प्रतिबंध के साथ मान्यता निर्गत की जा रही है की शासनादेश में निहित शर्तो के आधार पर यदि कोई तथ्य छिपाये गये है अथवा संज्ञान में नही लाया गया है तो निर्गत मान्यता आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरण कर लिया जायेगा।

31/3/16

(ओ0पी0त्रिपाठी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बांदा।